

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक 28/06/2017

अतिरिक्त आवंटन आदेश माह जुलाई, 2017  
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)


खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आवंटन आदेश दिनांक 15.06.2017 द्वारा माह जुलाई, 2017 के आवंटन आदेश पश्चात् विभाग में अवशेष अवितरित खाद्यान्न मात्रा 1,23,015 मैटन में से माह जुलाई, 2017 हेतु निम्नांकित जिलों को अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम जिला	अतिरिक्त मात्रा प्रतिमाह (मैटन)
1	सिरोही	408
2	जालौर	1600
3	उदयपुर	2500
4	बीकानेर	1200
5	हनुमानगढ़	600
6	श्रीगंगानगर	1000
7	झालावाड	900
8	बारा	2100
9	बाड़मेर	1600
10	जैसलमेर	800
	योग	12708

उक्त अतिरिक्त मात्रा का आवंटन जाँच दल द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट एवं विभागीय कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है ।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी अतिरिक्त आवंटन पश्चात् भी पात्र उपभोक्ताओं द्वारा खाद्यान्न न मिलने कि शिकायतें विभाग को प्राप्त होती हैं और शिकायत की जाँच रिपोर्ट में खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेंगी ।

  
( पी.रमेश )  
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, सिरोही, जालौर, उदयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झालावाड़, बांरा, बाड़मेर एवं जैसलमेर।
5. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टॉक रोड जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि०, जयपुर
7. जिला रसद अधिकारी, सिरोही, जालौर, उदयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झालावाड़, बांरा, बाड़मेर एवं जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्तर्गत अतिरिक्त आवंटित गेहूँ की मात्रा का निश्चित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करायें।
8. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षा पत्रिका।



अतिरिक्त खाद्य आयुक्त